


XXXa BR H-11



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

कमलाबाई/बाला

प्रकरण क्रमांक मिस. 2603-एक/14

जिला -देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11.02.15	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उप. । आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि मूल प्रकरण में आदेश पारित होने से अब इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते । आवेदक अधिवक्ता के निवेदन पर यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।</p> <p>प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो</p>	 सदस्य



## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अवमानना प्रकरण क्रमांक

/2014 जिला-देवास विविद्य 2603-2114

1. कलाबाई पति चेनाजी
2. चेनाजी पुत्र मदरूप बलाई निवासीगण  
ग्राम मानकुण्ड तहसील बागली टप्पा  
हाटपीपल्या जिला देवास म.प्र.

..... आवेदकगण

विरुद्ध

1. बाला पिता भेराजी बलाई निवासी ग्राम  
मानकुण्ड तहसील बागली टप्पा  
हाटपीपल्या जिला देवास (म.प्र)
2. श्रीमती राधा महंत तहसीलदार बागली  
टप्पा हाटपीपल्या जिला देवास (म.प्र)

..... अनावेदकगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा (2) 12 अवमानना अधिनियम बावत प्रकरण क्रमांक  
1294 /एक/2014 पुनरीक्षण में पारित स्थगन आदेश दिनांक 01.07.2014 के  
उल्लंघन बावत।

श्री. कलाबाई पति चेनाजी विधि.  
द्वारा आज दि. 19.8.14 को  
प्रस्तुत  
कलकत्ता 19.8.14  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Chaturvedi